मु.नं.–39 / 2021 GCMS ID-2021/70 ता.रजु–01.06.2021

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

जसवंत मीना पुत्र श्री प्रभुलाल मीना निवासी मांच पोस्ट अटा तहसील व जिला करौली (राज.) – अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, करौली – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–26.08.2021

1. वैश्विक महामारी कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने की व्यवस्थाओं में एवं प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपील की सुनवाई किये जाने में विलम्ब हुआ।
2. अपीलार्थी दिनांक 30.06.2021 को उपस्थित। उसके बाद दिनांक 14.07.2021, 22.07.2021, 29.07.21, 02.08.21, 11.08.21, 25.08.21, 26.08.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर (1) जिला कलक्टर करौली द्वारा जांच बाबत् उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल को पत्र क्रमांक–विकास / 2021 / 498 दिनांक 07.04.2021 को भेजा गया। पत्र पर आज दिनांक तक की गई कार्यवाही की प्रति (2) उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है तो किस कारण नहीं की गई है। (3) उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल को जिला कलक्टर करौली द्वारा दिनांक 12.04.2021 तक जांच हेतु निर्धारित किया गया था। क्या जांच की गई उसकी प्रतिलिपि चाहिये (4) अगर उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल द्वारा समय पर कार्यवाही नहीं करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही बनती है, आदि कुल 4 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।
4. प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर पेश कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल से होने के कारण पत्रांक 293 दिनांक 23.04.2021 द्वारा निर्धारित समय अवधि के अंदर अपीलार्थी का आवेदन उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल को अंतरित कर दिया गया था।
5. उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल ने पत्रांक सामान्य / 2021 / 3908 दिनांक 07.07.2021 द्वारा अवगत करवाया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के पत्रांक सू.अ.अ. / 2021 / 3569 दिनांक 21.06.2021 से भिजवा दी गई है। बिन्दुबार अपीलोत्तर इस न्यायालय में पेश किया गया है।
6. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
7. उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दी गई है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अन्यथा कोई प्रतिकार पेश नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी को बार–बार अवसर दिये जाने एवं उसके उपस्थित नहीं आने से यह विदित होता है कि अपीलार्थी उक्त सूचना से संतुष्ट है।
8. अतः हम अपील अपीलार्थी खारिज किया जाना उचित समझते हैं।
9. अस्तु अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।
10. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
11. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
12. निर्णय आज दिनांक 26.08.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, करौली